कार्पो:एचआरएम/श्रेणी 3 एवं 4 कक्ष/स.नि.2014

12.11.2014

<u>सभी क्षेत्रीय प्रभारी</u>

विषय: सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में सहानुभूति नियुक्ति का पुन: प्रारंभ और
<u>उसके बदले में मौद्रिक मुआवजे की समाप्ति.</u>

हमें आपको सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि मंडल द्वारा मृत कर्मचारी के कानूनी वारिसों को 01.11.2014 से सहानुभूति नियुक्ति को पुन: प्रारंभ करने का अनुमोदन दिया गया है. यह सहानुभूति करार योजना के अनुसार होगा जोकि 1.11.2014 को या उसके पश्चात् जिनकी मृत्यु हुई है या पहले मेडीकल आधार पर 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं.

इस पत्र के साथ हम सहानुभूति नियुक्ति योजना के विस्तृत प्रशासनिक निर्देश और निर्धारित फॉर्मेट आपके अवलोकन और सूचनापट्ट पर प्रदर्शन हेतु संलग्न कर रहे हैं.

कृपया नोट करें कि पोर्टल पर परिपत्र को लोड करने की प्रक्रिया जारी है.

(पी.नायक)
महाप्रबंधक

संलग्न: उपरोक्त

<u>सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों में सहानुभूति नियुक्ति हेतु योजना</u>

1. <u>आवरण</u>

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनी (पीएसजीआईसी) के स्थाई कर्मचारी के परिवार के आश्रित सदस्य की जो

(क) सेवा के दौरान मृत (आत्महत्या द्वारा मृत्यु भी शामिल)

या

(ख) 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मेडीकल आधार पर अक्षमता के कारण सेवानिवृत्त.

(अक्षमता को सरकारी मेडीकल कॉलेज/सरकारी जिला मुख्यालय विधिवत रुप से नियुक्त मेडीकल बोर्ड द्वारा अस्पतालों / इस प्रयोजन हेतु कंपनी द्वारा नामित डॉक्टरों के पैनल में प्रमाणित हो.)

1.2 इस योजना के प्रयोजन से 'कर्मचारी' का अर्थ होगा और इसमें केवल स्थायी नियमित कर्मचारी जोकि पूर्ण कालीन या अंशकालीन वेतन पैमाने पर कार्य कर रहा हैं और मृत्यु के समय पर/मेडीकल आधार पर 55 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले सेवानिवृत्त. इसमें अनुबंध/अस्थायी/आकस्मिक या कमीशन आधार पर भुगतान किए जाने वाले कोई भी व्यक्ति शामिल नहीं होंगे.

2. <u>परिवार के आश्रित सदस्य</u>

2.1 पति/पत्नी या

2.2 पूर्णत: आश्रित पुत्र (कानूनी रुप से दत्तक पुत्र भी शामिल); या

2.3 पूर्णत: आश्रित पुत्री (कानूनी रुप से दत्तक पुत्री भी शामिल); या

2.4 अविवाहित कर्मचारी के मामले में पूर्णत: आश्रित भाई या बहन

3. <u>सहानुभूति नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी</u>

3.1 अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

3.2 महाप्रबंधक जो वर्तमान में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक का प्रभार संभाल रहे हैं.

3.3 विशेष प्रकार के मामलों में निदेशक मंडल

3.4 सहानुभूति आधार पर नियुक्ति के प्रस्तावों पर कार्य करने के पात्र मामलों के अलावा जहां मृतक कर्मचारी/मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्त कार्मिक या मृतक कर्मचारी गंभीर वित्तीय अनियमिताओं, धन के गबन, धोखाधडी इत्यादि करने में शामिल होने के कारण उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है, तो कंपनी भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करना जारी रखेगी जिसमें प्रत्येक मामले में कंपनी के मंडल/मंडल द्वारा नियुक्त प्राधिकारी द्वारा विचार करने की आवश्यकता होगी.

4. **<u>जिस पद पर नियुक्ति की जा सकती है:</u>**

नियुक्ति केवल लिपिकीय और सब स्टाफ संवर्ग में ही की जा सकती है.

5. **<u>पात्रता</u>**

5.1 परिवार स्वस्थ है और वित्तीय संकट से राहत के लिए तत्काल सहायता के हकदार हैं, और

5.2 सहानुभूति नियुक्ति के लिए आवेदक को प्रासंगिक भर्ती नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी मामलों में पद के लिए पात्र और उपयुक्त होना चाहिए.

6. **<u>छूट</u>**

6.1 निम्नलिखित आवश्यकताअें से सहानुभूति नियुक्ति के अंतर्गत छूट दी जा सकती है:

6.1.1 सामान्य नियुक्ति प्रक्रिया, उदाहरणार्थ चयन एजेंसी के बिना जैसे आईबीपीएस/रोजगार कार्यालय, कंपनी के भर्ती बोड इत्यादि.

6.1.2 भारत सरकार या अन्य नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पदों को भरने पर प्रतिबंध आदेश जारी किया गया हों.

7. <u>रियायत</u>

जहां आवश्यक होगा वहां ऊपरी आयु में रियायत की जा सकती है. हालांकि, किसी भी मामले में न्यूनतम आयु सीमा में 18 वर्ष से कम की आयु में कोई रियायत नहीं है.

(नोट 1- आयु की पात्रता को आवेदन की तारीख के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा न कि नियुक्ति की तारीख से)

(नोट 2- सहानुभूति नियुक्ति के बारे में अंतिम निर्णय लेने के मामलों में सक्षम प्राधिकारी आयु सीमा और ऐसी नियुक्ति हेतु सक्षम है)

8. आवेदनों पर विचार करने हेतु समय सीमा

यह संभावित योजना 1 नवंबर, 2014 से प्रभावी होंगी. इस योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए आवेदन करने के पात्र आश्रित सामान्यत: 01 नवंबर, 2014 या उसके बाद मृत्यु की तारीख या मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्त होने के पांच वर्षों तक पर विचार किया जाएगा और प्रत्येक मामले में निर्णय वरीयता के आधार पर होगा.

9. रिक्तियों का निर्धारण/उपलब्धता

9.1 सहानुभूति आधार पर नियुक्ति नियमित आधार पर की जाएगी और वह भी तब जब इस उद्देश्य हेतु उपलब्ध नियमित रिक्तियों का उल्लेख किया गया हो.

9.2 सहानुभूति नियुक्ति अधिकतम 5% रिक्तियों को भरने के लिए सीधी भर्ती कोटा के माध्यम से लिपिकीय वर्ग या सब-स्टाफ संवर्ग में चिन्हित रिक्तियों में की जा सकती है. उक्त वर्णित संवर्गों में कंपनी 5 रिक्तियों को अपने पास सुरक्षित रख सकती है जिन्हें सहानुभूति आधार पर भरा जाना है. सहानुभूति आधार पर नियुक्ति हेतु चयनित व्यक्ती को नियुक्ति रोस्टर में उपयुक्त संवर्ग में समायोजित किया जाए जैसे अ.जा./अजजा/अपिव/सामान्य संवर्ग. यह उस श्रेणी के आधार पर हो जिससे वह संबंधित है.

9.3 सहानुभूति आधार पर विधवा की नियुक्ति उसके पुनर्विवाह के बाद भी सेवा को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी.

10. जहां कमाऊ सदस्य है.

10.1 योग्य मामलों में, वहां चाहे परिवार में पहले की कमाऊ सदस्य हों तब कंपनी के सदस्य प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन पर सहानुभूति नियुक्ति के लिए परिवार के आश्रित सदस्य पर विचार किया जा सकता है जो ऐसी नियुक्ति के अनुमोदन देने से पहले वह खुद की संतुष्टि करेगा कि सहानुभूति नियुक्ति की मंजूरी उचित है. यह कर्मचारी के आश्रितों की संख्या, परिसंपत्तियों और बकाया दायित्वों के आधार पर होगा. दायित्वों में कमाऊ सदस्य की आय भी दायित्वों में शामिल होगी तथा साथ ही यह तथ्य भी कि कमाऊ सदस्य कर्मचारी के परिवार के साथ ही रह रहा है और चाहे वह परिवार के अन्य सदस्यों का समर्थन स्त्रोत न हो.

10.2 ऐसे मामलों में जहां मृतक या चिकित्सीय आधार पर सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार का कोई भी सदस्य पहले से ही रोजगार में है और कर्मचारी के परिवार के अन्य सदस्यों को समर्थन नहीं दे रहा है. मृत कर्मचारी के परिवार के सदस्यों के आर्थित संकट को सुनिश्चित करने में अत्यधिक सावधानी बर्तनी चाहिए ताकि सहानुभूति नियुक्ति की सुविधा को इस आधार पर नहीं रखा जाए कि परिवार का सदस्य जो पहले से ही रोजगार में है परिवार का समर्थन नहीं कर रहा है.

11 <u>लापता कर्मचारी</u>

निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन लापता कर्मचारियों के मामलों को भी सहानुभूति नियुक्ति हेतु योजना के अंतर्गत आवरित किया जाता है:-

11.1 सहानुभूति नियुक्ति के लाभ का अनुदान देने के अनुरोध को कर्मचारी के लापता होने के कम से कम 2 वर्षों के अंतराल की समाप्ति के पश्चात् ही विचार किया जाएगा, बशर्ते कि

पुलिस के पास प्रभावी एफआईआर दर्ज की गई हो,

लापता व्यक्ति पता लगाने योग्य नहीं है और सक्षम प्राधिकारी यह मानते हैं कि मामला वास्तव में सही हो.

11.2 यह लाभ कर्मचारी के उस मामले में लागे नहीं होगा:-

जिस तारीख से वह लापता हो गया था उस दिन सेवानिवृत्त होने के लिए उसे दो साल से कम का समय हो, या जिस पर संदेह है कि वह धोखाधडी कर रहा है या संदेह, है कि वह किसी भी आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया है या उसका विदेश जाने का संदेह है.

11.3 लापता कर्मचारियों की सहानुभूति नियुक्ति के मामले में यह अन्य मामलों के समान उनके अधिकार का मामला नहीं होगा और यह सभी शर्तों की पूर्ति और रिक्ति की उपलब्धता के अध्याधीन होगा जोकि इस योजना के अंतर्गत ऐसी नियुक्ति की जानी है.

11.4 ऐसे अनुरोध पर विचार करने के दौरान पुलिस जांच के परिणामों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; और

11.5 सहानुभूति नियुक्ति के ऐसे किसी भी अनुरोध पर निर्णय कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक स्तर पर ही लिए जाने चाहिए.

12. **<u>प्रक्रिया</u>**

क) सहानुभूति नियुक्ति के मामलों में आवश्यक जानकारी और प्रोसेसिंग हेतु कंपनी द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा का ही प्रयोग किया जाना चाहिए.

ख) कंपनी के कार्मिक विभाग के अधिकारी इस सवालिया कर्मचारी के मृत्यु के पश्चात् परिवार के सदस्यों से तुरंत मिले और सहानुभूति आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें परामर्श दे और सहायता करें. आवेदक को व्यक्तिगत रुप से प्रथम स्तर पर ही बुलवाया जाए और व्यक्ति को उसकी इसके लिए आवश्यकताओं और औपचारिकताओं की सलाह दें जो उसके द्वारा पूरी की जानी है.

ग) सहानुभूति आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन पर अधिकारियों की समिति द्वारा विचार किया जाएगा जिसमें तीन अधिकारी होंगे, एक अध्यक्ष और दो सदस्य, जोकि महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक श्रेणी के हों. कार्मिक विभाग के अधिकारी अपने संवर्ग के आधार पर भी समिति के सदस्यों में से एक हो सकते हैं. समिति हर महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान मिल सकती है ताकि प्राप्त मामलों पर विचार किया जा सकेगा. यदि आवश्यक होगा तो समिति आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का भी अनुमोदन दे सकती हे ताकि मामले के तथ्यों पर बेहतर तरीके से प्राप्त किया जा सके. समिति अपनी संस्तुति के साथ निर्णय हेतु मामले को सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगी. यदि सक्षम प्राधिकारी समिति की संस्तुति से सहमत नहीं हो तो निर्णय हेतु मामले को उच्च प्राधिकारी को भेजा जा सकता है.

13. **<u>मृतक कर्मचारी के परिवार के देखभाल की घोषणा.</u>**

योजना के अंतर्गत सहानुभूति आधार पर नियुक्त व्यक्ति को लिखित (परिशिष्ट के अनुसार) में यह घोषणा करनी होगी कि वह परिवार के अन्य सदस्यों जोकि मृतक कर्मचारी के आश्रित हैं कि देखभाल यथोचित रुप से करेगा और यदि इसके तदंतर यह साबित हो जाता है कि (किसी भी समय) परिवार के सदस्यों को नजरअंदाज किया जा रहा है और उसके द्वारा उनका पूरा रखरखाव नहीं किया जा रहा है तो उनकी नियुक्ति को तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा. यह खंड उनकी सहानुभूति आधार पर नियुक्ति के आवेदन की शर्तों में से एक के रुप में शामिल किया जाएगा.

14. **<u>पद/व्यक्ति में परिवर्तन के लिए अनुरोध.</u>**

जब किसी निश्चित पद पर सहानुभूति आधार पर व्यक्ति की नियुक्ति की गई है, तो जिन परिस्थितियों में ऐसी नियुक्ति की गई है को नियुक्ति के अस्तित्व में रहने के लिए समझा जाए. ताकि

(क) भविष्य में प्रगति के लिए वह अपने सहयोगियों की तरह अपने करियर में प्रयास करे और सहानुभूति के विचार पर किसी भी उच्च पद पर नियुक्ति के लिए अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना जाए.

(ख) सहानुभूति आधार पर नियुक्ति पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित नहीं की जा सकती है और सहानुभूति के विचार में इसके लिए किए गए किसी भी अनुरोध को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए.

15. **<u>वरीयता</u>**

किसी निश्चित वर्ष में सहानुभूति आधार पर नियुक्ति वाले व्यक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार उस निश्चित वर्ष में सीधी भर्ती/नियुक्ति वाले उम्मीदवारों पदोन्नति इत्यादि में.

16. **<u>सेवा की समाप्ति</u>**

कारण बताओ नोटिस जारी करने के पश्चात् सहानुभूति नियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति आवेदन में वर्णित शर्तों के अनुपालन न किए जाने के आधार पर सहानुभूति नियुक्ति को समाप्त किया जा सकता है जिसमें कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए यह वह स्पष्ट किया जाए कि नियुक्ति के आवेदन में वर्णित किन शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर भी उसकी सेवाएं समाप्त की जाएं और इसके लिए कंपनी की सीडीए नियमावली में वर्णित निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं.

इसके दुरुपयोग की जांच करने के लिए, सहानुभूति नियुक्ति के आवेदन की शर्तों के अनुपालन न करने के लिए सेवा समाप्त करने की शक्ति केवल कंपनी के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक के पास निहित है.

17. **<u>सामान्य</u>**

(i) सहानुभूति आधार पर की जाने वाली नियुक्ति इस प्रकार की जाए कि इस तरह के पद के लिए नियुक्त व्यक्तियों के पास आवश्यक शैक्षणिक और तकनीकी

योग्यता हो और प्रशासन की दक्षता के रख-रखाव की आवश्यकता के अनुरुप पद के लिए आवश्यक अनुभव भी हो.

(ii) मृतक या मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्त सब-स्टाफ कर्मचारी के परिवार के सदस्य की नियुक्ति केवल सब स्टाफ पद के लिए करने की प्रतिबंधित मंशा नहीं होनी चाहिए. जैसे कि, पूर्व रुप में सब स्टाफ के परिवार के सदस्य को लिपिकीय पद पर भी उसकी शैक्षणिक योग्यताओं के अनुरुप नियुक्त किया जा सकता है बशर्तें इस प्रयोजन के लिए लिपिकीय पद की रिक्ति विद्यमान हो.

(iii) सहानुभूति आधार पर नियुक्ति के आवेदन को मात्र इसलिए नहीं अस्वीकार किया जा सकता कि कर्मचारी के परिवार ने विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए हैं. सहनुभूति आधार पर नियुक्ति के अनुरोध पर विचार करते हुए परिवार की वित्तीय स्थिति का संतुलित और उद्देश्य पूर्ण आकंलन किया जाए जिसमें उसकी परिसंपत्तियों और दायित्वों का भी ध्यान रख जाए (इसमें उक्त वर्णित विविध कल्याण योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त लाभ भी शामिल हैं) और साथ ही अन्य संबंधित तथ्यों का भी ध्यान रखा जाएगा जैसे कमाऊ सदस्य की उपस्थिति परिवार में सदस्यों की संख्या आदि.

(iv) सहानुभूति नियुक्ति हेतु निर्धारित रिक्ति का यदि कोई पद रिक्त है तो सहानुभूति नियुक्ति संबंधित व्यक्ति को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए और यदि वह इसके लिए योजना के अंतर्गत पात्र और योग्य पाया जाता है.

(v) पूर्व सब-स्टाफ की मृत्यु या मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरुप सहानुभूति नियुक्ति के अनुरोध के मामले में तथ्यों और परिस्थितियों के मामले में रियायत लागू और अधिक सहानुभूति के साथ विचाराधीन होगा.

(vi) अधिशेष कर्मचारियों की अधिशेष और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितकरण पर सहानुभूति नियुक्ति की प्राथमिकता होगी.

<u>सेवा के दौरान मृतक/मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्त कंपनी के कर्मचारी के आश्रितों के</u>

<u>रोजगार संबंधी प्रोफार्मा</u>

भाग -ए

1	(ए)	कर्मचारी का नाम (मृतक/मेडीकल आधार पर सेवानिवृत्त)	
	(बी)	पदनाम	
	(सी)	मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी की जन्म तारीख	
	(डी)	मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी की मृत्यु की तारीख	
	(ई)	प्रदान की गई कुल सेवा अवधि	
	(ए)	क्या स्थायी या अस्थायी	
	(जी)	क्या अजा/अजजा/अपिव से संबंधित	
2	(ए)	नियुक्ति के लिए उम्मीदवार का नाम	
	(बी)	मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ उसका संबंध	
	(सी)	जन्म की तारीख	

	(डी)	शैक्षणिक योग्यता	
	(ई)	क्या परिवार का अन्य कोई आश्रित सदस्य सहानुभूति आधार पर नियुक्त किया गया है.	
3		कुल परिसंपत्तियों सहित राशि का पूर्ण विवरण	
	(ए)	पारिवारिक पेंशन	
	(बी)	ग्रेच्युटी	
	(सी)	भविष्य निधि बकाया	
	(डी)	जीवन बीमा पॉलिसियां (पोस्टल जीवन बीमा सहित)	
	(ई)	चल और अचल संपत्तियां और परिवार द्वारा अर्जित वार्षिक आय	
	(एफ)	बीमा	
	(जी)	छुट्टी नकदीकरण	
	(एच)	अन्य कोई परिसंपत्तियां	

4. **दायित्वों का संक्षिप्त विवरण, यदि है तो**

5. मृतक कर्मचारी के परिवार के सभी आश्रित सदस्यों का विवरण

(क्या कोई नौकरी में है, उनकी आय और क्या वे साथ रह रहे हैं या अलग रह रहे हैं)

क्रमांक	नाम	मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी के साथ संबंध	आयु	पता	नौकरी में या नहीं (यदि नौकरी में है तो नौकरी के विवरण और परिलब्धियां)
1					
2					

3					

6. **घोषणा/उद्घोषणा**

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपरोक्त द्वारा दिए गए तथ्य मेरे ज्ञान के अनुसार उत्तम और सही है. यदि यहां वर्णित कोई भी तथ्य त्रुटिपूर्ण या गलत पाए जाते हैं तो भविष्य में मेरी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि फार्म 1(ए) के भाग-ए के समक्ष वर्णित मृतक कर्मचारी के आश्रित अन्य परिवार के सदस्यों का देखभाल उचित रुप से करूंगा और किसी भी मामले में किसी भी समय यदि यह साबित हो जाता है कि मेरे द्वारा परिवार के उक्त सदस्यों को नजर अंदाज किया जा रहा है या उनकी देखभाल उचित ढंग से नहीं की जा रहा है, तो मेरी नियुक्ति को समाप्त कर दिया जाएं.

तारीख: उम्मीदवार के हस्ताक्षर

नाम________________________

पता________________________

____

______________________________श्री/श्रीमती/कुमारी _______________________ मुझ से परिचित हैं और उनके द्वारा वर्णित तथ्य सही है और मेरे द्वारा सत्यापित किए गए हैं.

तारीख: साक्ष्य के हस्ताक्षर *

नाम ____________________________

पता______________________________

*बीमा का उच्च स्तर का कोई भी कर्मचारी या राज्य/केन्द्र सरकार के राजपत्रित कार्यपालक

भाग - बी

(जिस कार्यालय में नियुक्ति प्रस्तावित है द्वारा भरा जाएं)

1. (क) नियुक्ति हेतु उम्मीदवार का नाम

   (ख) मृतक/सेवानिवृत्त कर्मचारी से उसका रिश्ता

   (ग) आयु (जन्म तारीख, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव, यदि है तो)

   (घ) पद जिसके लिए नियुक्ति प्रस्तावित हे

   (च) क्या सहानुभूति नियुक्ति योजना के अंतर्गत निर्धारित 5% की सीलिंग उस रिक्त पद के लिए है.

   (छ) क्या उम्मीदवार पद हेतु भर्ती नियमों को पूरा करता है.

   (ज) भर्ती प्रक्रिया में छूट के अलावा और कौन सी रियायत दी जानी है.

2. क्या भाग ए में वर्णित तथ्यों को कार्यालय द्वारा सत्यापित किया गया है और यदि तो रिकॉर्ड दशाएं.

3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत संस्तुति (हस्ताक्षर और कार्यालय मुहर/सील सहित)